भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **4242**
दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

प्रशुल्क में अनुचित वृद्धि

4242. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न वायुमार्गों पर विमान कंपनियों द्वारा अधिरोपित "प्रशुल्क में अनुचित वृद्धि" के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेट एयरवेज का प्रचालन बंद होने के पश्चात् विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों के हवाई किराए में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) तथा (ख): प्रचलित विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा विमान किरायों के विनियमन तथा निर्धारण के कार्य नहीं किए जाते हैं। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रचालनों की लागत, सेवा विशिष्टाएं, औचित्यपरक लाभ एवं सामान्य प्रचलित किराया सूची सहित सभी सम्बद्ध कारकों को विचार में लेकर औचित्यपरक मूल्य सूची के निर्धारण की स्वतंत्रता एयरलाइनों को उपलब्ध है। एयरलाइनों की मूल्य व्यवस्था विश्व में प्रचलित व्यवहार के अनुसार विविध स्तरों (बॅकेट्स अथवा आरक्षण बुकिंग डेजीगनेटर (आरबीडी)) के अनुसार संचलित होती है। एयरलाइनों द्वारा किया जाने वाला मूल्य निर्धारण बाजार, मांग, सीजन अनुकूलता तथा अन्य बाजार स्थितियों को विचार में लेकर किया जाता है। एयरलाइनों द्वारा बिक्री के लिए टिकटें जारी करने के पश्चात निचले किराया बॅकेटों में टिकटों की बिक्री के साथ साथ मांग बढ़ने पर विमान किराए में वृद्धि होती जाती है। कुछ एयरलाइनों द्वारा विद्यमान 60 दिन, 30 दिन, 14 दिन इत्यादि की अग्रिम क्रय योजनाओं के साथ-साथ एपेक्स-90 प्रारम्भ किया गया है, जिसमें उच्चतर छूट प्राप्त ऐसे किराए प्रस्तावित किए जाते हैं, जिनसे यात्री व्यस्त काल में भी कम किराए पर यात्रा कर सकते हैं। ऊपर उल्लिखित किराया संरचनाएं एयरलाइनों द्वारा अपनी अपनी वेबसाइट पर दर्शाई गई हैं। किसी एयरलाइन द्वारा जब तक अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किराए से अधिक किराया वसूल नहीं किया जाता है तब तक उन्हें वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (2) का अनुपालनकर्ता माना जाता है। प्रचलित विनियमों के अनुसार सभी अनुसूचित अंतर्देशीय एयरलाइनों से अपनी वेबसाइट पर मार्ग-वार एवं श्रेणी-वार किराए प्रदर्शित करने की अपेक्षा की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से एयरलाइनों द्वारा घोषित किरायों से अधिक किराया वसूल न किए जाने का सुनिश्चय करने के लिए औचक आधार पर चयनित मार्गों के विमान किरायों की मॉनिटरिंग की

जाती है। हाल ही के दौरान किराया निगरानी के विश्लेषण से एयरलाइनों द्वारा अपनी संबंधित वेबसाइटों पर घोषित किराया बॅकेट्स के दायरे में ही विमान किराए वसूल किए जाने की पुष्टि हुई है। किसी मामलें में किरायों से अधिक वसूली किए जाने का संज्ञान होने पर नागर विमानन मंत्रालय / नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एयरलाइन के साथ आवश्यक हस्तक्षेप करके सचेत किया जाता है।

(ग) तथा (घ): जेट एयरवेज के प्रचालन स्थगित होने तथा बोई बी737 मैक्स ग्रांउड कर दिए जाने के कारण कुछ अंतर्देशीय सेक्टरों की क्षमता में कमी आई थी। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा कुछ एयरलाइनों की वेबसाइट पर घोषित किरायों से अधिक किराया वसूल न किए जाने का सुनिश्चय करने के लिए चयनित मार्गों की औचक आधार पर मॉनिटरिंग की गई है। मॉनिटरिंग के दौरान विमान किरायों में थोड़ी बढ़ोतरी पाए जाने के बावजूद भी ऐसी बढ़ोतरी एयरलाइनों द्वारा घोषित किरायों के दायरे में ही पाई गई है। इसके पश्चात कुछ अंतर्देशीय एयरलाइनों द्वारा अपने विमान बेड़े में अतिरिक्त विमान शामिल कर लिए जाने के पश्चात अंतर्देशीय सेक्टरों की क्षमता में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान विमान किराए सामान्य पाए गए।

*****